SCATR/6/22
IA no-4/22

विशेष प्र.क्रं. 6/2021

पेशी दिं.0–2–09–2022

न्यायालय श्रीमान विशेष न्यायाधीश महोदय अनुसूचित जाति अनूसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम इन्दौर

म.प्र. राज्य द्वारा थाना बाणगंगा,इन्दौर ––– अभियोगी,

विरूद्ध

अर्जून मण्डलोई आदि ––अभियुक्तगण

जमानत आवेदन पर आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु समय चाहने बाबद

प्रकरण में फरियादी द्वारा निवेदन है कि :–

1– यह कि,फरियादी को आरोपी अर्जून मण्डलोई द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति प्रस्तुत करने बाबद थाना बाणगंगा इन्दौर द्वारा नोटिस प्राप्त हुआ है।

2– यह कि फरियादी द्वारा प्रायवेट एडव्होकेट नियुक्त कर जमानत पर आपत्ति प्रस्तुत करवाई जानी है आपत्ति प्रस्तुति हेतु फरियादी को दिनांक 09–09–2022 तक समय की आवश्यकता है।

अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि, फरियादी के उक्त प्रकरण में दिनांक 09–09–2022 जमानत आपत्ति पर विरोध प्रकट करने हेतु समय दिया जावें। यही विनय है।

इन्दौर प्रस्तुतकर्ता

दिनांक 02–09–2022

द्वारा यशवन्त मिड़किया

(मुतक के पिता)

नि0–62 पुराना गौरी नगर इन्दौर

SPECIAL JUDGE
SC/ST (P.A.) ACT.
INDORE (M.P.)

Order Sheet [Contd.]

Case No. ----------/----------

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders Where necessary
	पुलिस थाना बाणगंगा जिला इंदौर के अपराध कमांक 1496/2021 अंतर्गत धारा 302, 120–बी, 34 भा.द.सं. एवं 25 आयुध अधिनियम व धारा 3(2)(V) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्या.निवा.)अधि. से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त। फरियादी/आपत्तिकर्ता द्वारा एक आवेदन पत्र जमानत आवेदन पर आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु समय चाहने बाबत् पेश किया गया। बाद विचार कारण उचित होने से आवेदन पत्र स्वीकार किया गया। नियत की जाने वाली दिनांक को केस डायरी प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ वापस की गई। प्रकरण केस डायरी मय प्रतिवेदन प्रस्तुति एवं जमानत आवेदन आई.ए.नंबर 4/22 पर तर्क हेतु दिनांक 05.09.2022 को पेश हो। मनोज कुमार तिवारी विशेष न्यायाधीश अ.जा. और अ.ज.जा.(अत्या.निवा.)अधि., इन्दौर म.प्र.	
05.09.2022	आवेदक/आरोपी **अर्जुन** की ओर से श्री उत्तम उपाध्याय अधिवक्ता उपस्थित। राज्य द्वारा श्री विशाल श्रीवास्तव विशेष लोक अभियोजक। फरियादी/आपत्तिकर्ता यशवंत सहित श्री रूपेश कुमार अधिवक्ता। 1. प्रकरण केस डायरी मय प्रतिवेदन प्रस्तुति, फरियादी की उपस्थिति एवं जमानत आवेदन पत्र तर्क हेतु नियत है। आपत्तिकर्ता की ओर से लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गइ, जिसे अभिलेख पर लिया गया। (मनोज कुमार तिवारी) (वरिष्ठ) विशेष न्यायाधीश अ.जा. और अ.ज.जा. (अत्या. निवा.) अधि. इन्दौर (म.प्र.)	

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders Where necessary

2. कार्यालय पुलिस थाना बाणगंगा जिला इंदौर के अपराध क्रमांक 1496/2021 अंतर्गत धारा 302, 120–बी, 34 भा.द.सं. एवं 25 आयुध अधिनियम व धारा 3(2)(V) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्या.निवा.)अधि. से संबंधित प्रतिवेदन व केस डायरी प्राप्त।

3. आवेदन के संबंध में मनोहर मण्डलोई द्वारा आवेदक/आरोपी को पुत्र बताते हुए, आवेदक/आरोपी का **प्रथम** जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत **धारा 439 द.प्र.सं.** के तहत प्रस्तुत होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

4. सभी पक्षों के तर्क श्रवण किए गए। इस आदेश के द्वारा उक्त आवेदन पत्र आई.ए. नंबर 4/2022 का निराकरण किया जा रहा है।

5. आवेदक/आरोपी की ओर से लिखित व मौखिक तर्क किया कि, उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसे झूठा आलिप्त किया गया है। वह 28 वर्षीय व्यक्ति होकर उसका पूर्व का आपराधिक रिकार्ड नहीं है। उसे असत्य रूप से झूठा फंसाया गया है। उसे सी.सी.टी.वी. फुटेज के आधार पर आरोपी बनाया गया है, उसकी फुटेज में पहचान नहीं हुई है, और न ही वह घटना स्थल पर उपस्थित था। इस मामले में सहआरोपी मनीष, वर्तिका एवं जितेन्द्र को माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा दिनांक दिनांक 25.04.2022 को सी.आर.ए.नंबर 1708/2022 में पारित आदेश एवं दिनांक 15.07.2022 को सी.आर.ए. 4857/22 एवं 5767/22 में पारित आदेशानुसार जमानत का लाभ प्रदान किया गया है। अनुसंधान पूर्ण होकर आवेदक/आरोपी की कोई आवश्यकता नहीं है। समानता के आधर पर आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार कर योग्य जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया।

6. विशेष लोक अभियोजक ने मौखिक रूप से एवं संबंधित आरक्षी केन्द्र द्वारा लिखित रूप से तर्क किया गया कि, आवेदक/आरोपी के मेमोरेण्डम अंतर्गत धारा 27 साक्ष्य विधान के आधार पर सहआरोपीगण अंकित व अर्जुन द्वारा घटना के समय पहने हुए कपडे शर्ट आवेदक/आरोपी की निशादेही पर ग्राम पालखंदा जिला उज्जैन में खेत में बने कच्चे कुंए से एस.डी.ई. आर.एफ. की टीम के गोताखोरों की सहायता से जप्त किए गए। वह इंदौर की निवासी नहीं

(मनोज कुमार तिवारी) (वरिष्ठ)
विशेष न्यायाधीश
अ.जा. और अ.ज.जा. (अत्या. निवा.) अधि.
इन्दौर (म.प्र.)

Order Sheet [Contd.]

Case No. ----------/----------

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders Where necessary

होकर ग्राम जानगोद रानी तह. व जिला देवास का निवासी है और जमानत का लाभ दिये जाने पर फरार हो जायेगा तथा गवाहो को डरायेगा, धमकायेगा, जिससे साक्ष्य प्रभावित होने की संभावना है। इसका मामला माननीय उच्च न्यायालय से जमानत का लाभ प्राप्त सभी आरोपियों से भिन्न है। इन परिस्थितियों में आवेदन निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

7. अपत्तिकर्ता यशवंत मिडकिया के द्वारा लिखित आपत्ति पर तर्क किया कि, फरियादी की रिपोर्ट पर से दिनांक 13.10.2021 को अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 302, 120–बी, 34 भा.दं.सं., धारा 25 आयुध अधिनियम तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्या.निवा.) अधिनियम dh /kkjk 3 (2)(va) के अंतर्गत मामला दर्ज हुआ है। आपत्ति में अभियोजन घटनाकम का वर्णन करते हुए जमानत आवेदन के संबंध में इस बाबत् विरोध किया कि, यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो वह स्वयं को बचाने के लिए प्रकरण के साक्षियों को प्रभावित करेगा, जिससे प्रकरण का विचारण प्रभावित होगा। आरोपी पर गंभीर प्रकृति का अपराध पंजीबद्ध है, जिस कारण आरोपी के फरार होने/विदेश पलायन करने की संभावना है। आरोपी पक्ष द्वारा विभिन्न माध्यमों से शिकायतकर्ता व उसके परिवारजन तथा साक्षियों को धमकियां व प्रलोभन दिया जा रहा है। इन परिस्थितियों में जमानत आवेदन निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

8. अभियोजन मामले अनुसार दिनांक 13.10.2021 को 7:45 बजे के घटनाकम के बाबत् इसी दिनांक को 10:57 बजे फरियादी राहुल मेडकैया द्वारा रिपोर्ट दर्ज करायी गई कि, वह टैली परफार्मेन्स कंपनी विजय नगर में कॉल सेंटर पर काम करता है तथा आकाश उसका छोटा भाई होकर मम्मी–पापा के साथ गणेश मेडिकल के उपर वाल्मिकी नगर बाणगंगा में किराये से रहता है और टैली परफार्मेन्स का काम घर से ही करता है। आकाश का विवाह वर्तिका से उज्जैन से डेढ़ पूर्व हुआ था और वर्तिका अमलतास अस्पताल देवास में काम करती है। इसलिए आकाश सुबह 7 बजे रोजाना

(मनोज कुमार तिवारी) (वरिष्ठ)
विशेष न्यायाधीश
अ.जा. और अ.ज.जा. (अत्या. निवा.) अधि.
(म.प्र.)

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders Where necessary

पाटनीपुरा चौराहे पर उसे छोड़ने लेने जाता था। रोजाना की तरह दिनांक 13.10.2021 को अपनी पत्नी वर्तिका को छोड़ने सुबह 7 बजे घर से एक्टिवा गाड़ी से पाटनीपुरा गया तथा 8 बजे तक वापस नहीं आया तो पिता यशवंत ने आकाश के फोन पर फोन लगाया, जिसे पुलिस ने रिसीव किया और बताया कि पोलोग्राउण्ड मैन रोड़ पर विद्युत मंडल के पास किसी ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी है और उसका शव अरविंदो अस्पताल में रखा है।

9. इस प्रकार फरियादी राहुल मेडकैया द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट पर से अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 302 भा.दं. सं. के आरोप में अपराध कमांक 1494/2021 थाना बाणगंगा पर पंजीबद्ध किया गया।

10. अनुसंधान के दौरान वह एकत्रित साक्ष्य से यह तथ्य उभरकर सामने आया कि, मृतक आकाश की पत्नी सहआरोपी वर्तिका व मनीष शर्मा के प्रेम प्रसंग होने की बात मृतक आकाश को पता चली थी और वह वर्तिका को इस बारे में रोक–टोक करने लगा किन्तु वर्तिका आकाश की आर्थिक स्थिति से संतुष्ट नहीं थी और प्रेमप्रसंग की जानकारी होने के कारण आकाश की शंका की वजह से वह परेशान हो गई थी और उसने सहआरोपी मनीष व वर्तिका शर्मा को यह बात बतायी जिन्होंने आकाश को मारने का षडयंत्र रचा और उसमें सहआरोपी जितेन्द्र उर्फ जीतू को शामिल करते हुए उक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू वर्मा व आवेदक/आरोपी अर्जुन एवं अंकित उर्फ बिट्टू के माध्यम से आकाश की हत्या कारित की।

11. मामले में एकत्रित साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि, आवेदक/आरोपी अर्जुन ने आकाश की हत्या की योजना बनाने में सहभागिता प्रदान की। इस प्रकार तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए गुण दोष पर जमानत का लाभ प्रदान करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

12. आवेदक/आरोपी अर्जुन की ओर से यह तर्क किया गया है कि, सहआरोपी मनीष, वर्तिका एवं जितेन्द्र को माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा दिनांक दिनांक 25.04.2022 को सी.आर.ए.नंबर 1708/2022 में पारित आदेश एवं दिनांक 15.07.2022 को सी.आर.ए. 4857/22 एवं

(मनोज कुमार तिवारी) (बारेठ)
विशेष न्यायाधीश
अ.जा. और अ.ज.जा. (अत्या. निवा.) अधि.
इन्दौर (म.प्र.)

Order Sheet [Contd.]

Case No. ----------/----------

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer.	Signature of Parties or Pleaders Where necessary

5767/22 में पारित आदेशानुसार जमानत का लाभ प्रदान किया गया है। अतः समानता के आधार पर जमानत का लाभ प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

13. अनुसंधान के दौरान एकत्रित साक्ष्य से यह स्पष्ट हो रहा है कि, सह आरोपी जितेन्द्र उर्फ जीतू वर्मा ने अपराध कारित करने का षड़यंत्र रचा और अन्य आवेदक/आरोपी अर्जुन तथा सह आरोपी अंकित उर्फ बिट्टू को लालच देकर उनसे आक़ाश की हत्या कारित करवायी तथा हत्या होने तक वह मोबाईल पर उनसें संपर्क में था तथा उक्त सह आरोपी ने उसे मोबाईल पर यह सूचना दी कि, काम हो गया है अर्थात् हत्या कर दी गई है।

14. माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के द्वारा क्रिमिनल अपील कमांक 1708/2022 में पारित आदेश दिनांक 25.04.2022 अनुसार सहआरोपी मनीष को तथा क्रिमिनल अपील कमांक 5767/2022 में पारित आदेश दिनांक 15 जुलाई 2022 अनुसार सहआरोपी जितेन्द्र उर्फ जीतू को जमानत का लाभ प्रदान किया गया है एवं क्रिमिनल अपील नंबर 4857/2022 में पारित आदेश दिनांक 15 जुलाई 2022 अनुसार आरोपी वर्तिका को जमानत का लाभ प्रदान किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि, आवेदक/आरोपी अर्जुन मण्डलोई के द्वारा अन्य आरोपीगण के साथ षडयंत्र में शामिल होते हुए सक्रिय रूप से घटनाकम में भाग लेकर व चाकू से मारपीट की, जिससे आकाश की हत्या कारित हुई। इस प्रकार जमानत पर छोड़े गये अन्य सह आरोपियों से इस आवेदक/आरोपी अर्जुन मण्डलोई का मामला भिन्न प्रतीत होता है। अतः समानता का सिद्धांत लागू नहीं होता है।

15. अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं आवेदक/आरोपी अर्जुन मण्डलोई पर आक्षेपित अपराध के स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए उसे प्रतिभूति का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

16. परिणामतः आवेदक/आरोपी अर्जुन मण्डलोई की ओर से प्रस्तुत नियमित प्रथम प्रतिभूति आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. निरस्त किया जाता है।

(मनोज कुमार तिवारी) (वरिष्ठ)
विशेष न्यायाधीश
अ.जा. और अ.ज.जा. (अत्या. निवा.) अधि

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders Where necessary
	17. आदेश की प्रतिलिपि के साथ केस डायरी संबंधित आरक्षी केन्द्र को वापिस की जावे। 18. प्रकरण आरोप तर्क हेतु दिनांक 09.09.2022 को पेश हो। ।। मनोज कुमार तिवारी ।। विशेष न्यायाधीश अजा / अजजा (अत्या0नि0पा0) अधि0 इन्दौर (म.प्र.) SPECIAL JUDGE SC/ST (P.A.) ACT. INDORE (M.P.)	